APP-
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा मुकाम : बांसवाड़ा(राज.)

धरमा S/o चोखा जाति भील निवासी टाडी महुडी, तहसील व जिला – बांसवाड़ा

बनाम

प्रतिवादी

मानजी S/o जोखा व अन्य निवासीगण – टाडी महुडी तहसील व जिला बांसवाड़ा

वि मुकदमा : 188, 209 R.T.A प्रकरण संख्या 11/2015

ता हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद जॉच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री धरमा पिता श्री चोखा निवासी टाडी महुडी द्वारा एक वाद–पत्र अंतर्गत धारा 188, 209 R.T.A. के तहत प्रतिवादी श्री मानजी पिता श्री जोखा निवासी टाडी महुडी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 26/2/2015 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
26.2.15	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक ~~उप~~ उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 से 11 की तरफ से श्री उमेश जोशी अभिभाषक का वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी के नम्बर प्रतिवादी सं. 6 व प्रकाश प्रतिवादी संख्या 7 एक ही होकर प्रतिवादी संख्या 6 नम्बर सही नाम होना अवगत करवाया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11.3.15 को पेश हो।	
11.3.15	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) व्य.प्र.सं. पेश किया। नकल अप्रार्थी [illegible] दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23.3.15 को पेश हो।	
23.3.15	पत्रावली पेश हुई। ~~[illegible]~~ प्रतिवादी अभिभाषक ने जवाब हेतु समय चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6.4.15 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.5.22	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित पत्रावली वास्ते मजीद बहस में होने से वादी/प्रतिवादी के आपसी सहमति के फलोप हेतु मे गुण नवागोंव मे पेश हो। वास्ते आगामी दिनांक 1.6.22 को प्रशासन गांव के संग	
1.6.22	पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान के फलोप केम्प नवागांव मे पेश हुई वकुलाय अउपस्थित होने से राजीनामे की कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली आगामी दिनांक 4.7.22 को पेश हो [initials]	
4.7.22	पत्रावली पेश हुई वकुलाय की उपस्थित पत्रावली वास्ते मजीद बहस आगामी दिनांक 26.7.22 को पेश हो [initials]	
26.7.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप. आये। बहस हेतु अंतिम अवसर चाहते हो प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस 29/8/22 को पेश हो। [initials]	
29.8.22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 19.9.22 को पेश हो [initials]	
19.9.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप. आये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया। मनन बहस [illegible] पर किया। वादी का वाद [illegible] किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ~~निर्णय लिखा जाकर~~ डिक्री जारी हो। पत्रावली कार्यालय इन्द्राज के नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chan Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 11 / 2015 दायर दिनांक–02 / 02 / 2015

उनवान

1.धरमा पिता चोखा जाति भील आयु वयस्क निवासी टाड़ी महुड़ी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) **(वादी)**

बनाम

1. मानजी पुत्र जोखा जाति भील आयु वयस्क।
2. श्रीमती कमला पत्नी मानजी जाति भील आयु वयस्क।
3. राजेंग पुत्र मानजी जाति भील आयु वयस्क।
4. हालु पुत्र मानजी जाति भील आयु वयस्क।
5. देवीलाल पुत्र राजेंग जाति भील आयु वयस्क।
6. नटवर पुत्र हालु जाति भील आयु वयस्क।
7. प्रकाश पुत्र हालु जाति भील आयु वयस्क।
8. सुश्री शिल्पा पुत्री हालु जाति भील आयु वयस्क।
9. सुश्री किरपा पुत्री हालु जाति भील आयु वयस्क।
10. दिलीप पुत्र हालु जाति भील आयु वयस्क।
11. श्रीमती कान्ती पत्नी राजेंग जाति भील आयु वयस्क।

समस्त निवासीयान टाड़ी महुड़ी तहसील व बांसवाड़ा (राज.)

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1.श्री यूसुफ मोहम्मद **अधिवक्ता वादी**
2.श्री उमेश दोसी **अधिवक्ता** प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा– 188, 209 आर.टी.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक–19.09.22

सक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम टाड़ी महुड़ी पटवार हल्का नवा गांव तहसीलदार बांसवाड़ा में स्थित आराजी खाता संख्या 29 नया 28 पुराना के खसरा नम्बर 42 रकबा 10–11 बीघा स्थित होकर वादी काबिज काश्त ने दिनांक 07.01.15 के बाद लगातार प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से उक्त वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

आराजियात पर जबरन प्रवेश कर वादी के शान्तिपूर्ण काश्त में वाद उत्पन्न करते हुए बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है वादी खातेदार काबिज काश्त होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में निहित होने से प्रतिवादीगण आराजियात पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात प्रवेश न करे न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण न करे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उमेश दोसी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाबमय काउन्टर क्लेम पेश किया। अधिवक्ता वादी द्वारा काउन्टर सूट का जवाब–उलजवाब पेश किया जाने पर पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई।

तनकी संख्या 1.

आया वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 29 (नया) 28 (पुराना) के खसरा संख्या 42 रकबा 10.11 बीघा भूमि वाके ग्राम टाडी महुड़ी पटवार हल्का नवागांव में स्थित है जिसका वादी द्वारा लगान अदा किया जा रहा है।

(बजिम्मे वादी)

तनकी संख्या 2.

आया उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रतिवादी उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने आमादा है। इसलिये वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

(बजिम्मे वादी)

तनकी संख्या 3.

आया वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की जाकर क्रय मूल्य दोनों के द्वारा आधा–आधा अदा किया गया है। उक्त क्रय की गई भूमि के विक्रय दस्तावेज में वादी द्वारा अपने स्वयं का नाम दर्ज करा लिया है।

(बजिम्मे प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 4.

आया वादग्रस्त भूमि में मौके पर वादी व प्रतिवादी 1/2, 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

(बजिम्मे प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 5.

आया वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसलिये प्रतिवादी खातेदार घोषित होने का पात्र लिखता है।

(बजिम्मे प्रतिवादीगण)

अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

बाद कायमी तनकीयात पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी मुक्ररर की गई वादी की ओर से साक्ष्य हेतु PW1 धरमा पिता चोखा का शपथ–पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल है वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सीधे ही बहस सुनकर निर्णित कर दिया गया अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं किये जाने पर जिरह बंद की गई अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह वादी हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे खारिज कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी मुक्ररर की गई प्रतिवादीगण की ओर से DW1 रुपा पिता धीरा DW2 हालु पिता मानजी DW3 कचरा पिता धुलिया के शपथ–पत्र हुये जो शामिल पत्रावली कर पत्रावली वास्ते जिरह मुक्ररर की गई प्रतिवादी संख्या 1 मानजी पुत्र जोखा की मृत्यु 26.06.19 को हो जाने से उसके कायम वारिसान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली पूर्व साक्ष्य प्रतिवादी हेतु रखी गई प्रतिवादी व DW1, DW2, DW3 से जिरह की गई तत्पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस मुक्ररर की जाकर दिनांक 29.08.22 को अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक वादी ने अपवाद जवाब उल में अभिलिखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार जो हमने जरिये पंजीकृत की क्रय पक्ष खरीदी है। जिस तथ्य से हम काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण हमें जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अतः हमें विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे व प्रतिदावे के कथनों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त रूप से क्रय की तथा आधे–आधे भाग पर 35 वर्षों से काबिज काश्त है। अभी तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। पटवारी रिपोर्ट व पड़ोसी काश्तकार के बयानों के अनुसार भी हम आधे हिस्से पर काबिज काश्त है अतः हमारी प्रतिदावा स्वीकार कर खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली पर बहस सुनी गयी। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या 1.</u>

आया वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 29 (नया) 28 (पुराना) के खसरा संख्या 42 रकबा 10.11 बीघा भूमि वाके ग्राम टाडी महुड़ी पटवार हल्का नवागांव में स्थित है जिसका वादी द्वारा लगान अदा किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(...जिम्मे वादी)

उक्त सिद्ध करने का भार वादी पर था।

इस पर वादी ने शपथ–पत्र पेश किया ... 10.11 बीघा स्वयं की काबिज काश्त होना अंकित है। वादी ने दस्त... साक्ष्य EX-3 जमाबंदी 2067–70 खाता संख्या 29 नयी पुरानी 28 खसरा नं 42 रकबा 10.11 बिस्वा धरमा पिता चोखा सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। EX-4 नक्शा ट्रेप खाता सं 42 दर्ज है EX-5 जमाबंदी सम्वत 2069 खसरा नंबर 42 धरमा पिता चोखा गेहूं की फसल बोना दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

उक्त विवरणानुसार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2.

आया उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रतिवादी उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने आमादा है। इसलिये वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

(बजिम्मे वादी)

को सिद्ध करने का भार वादी पर था।

वादी ने अपने शपथ–पत्र 2 व 3 में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में जबरन प्रवेश किया है तथा EX-2 में मानजी पिता चोखा राजेंग पिता मानजी, प्रकाश पिता हालु, हालु पिता मानजी, देवीलाल पिता राजेंग के विरुद्ध FIR की सत्यप्रति पेश की जिसमें खेंत में जबरन प्रवेश करना अंकित है। EX-1 में पुलिस फाइनल रिपोर्ट में अभियुक्त मानजी पिता चोखा, नटवर पिता हालू देवीलाल पिता राजेंग, राजेंग पिता मानजी निवासी टाडी महुडी के विरुद्ध ACJM कोर्ट बांसवाड़ा में धारा 341, 32, 504, 34 IPC में चार्ज पेश हुई।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजियात में दखलअंदाजी की है उक्त दस्तावेजी साक्ष्य वादी के शपथ के आधार पर तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3.

आया वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की जाकर क्रय मूल्य दोनों के द्वारा आधा–आधा अदा किया गया है। उक्त क्रय की गई भूमि के विक्रय दस्तावेज में वादी द्वारा अपने स्वयं का नाम दर्ज करा लिया है।

(बजिम्मे प्रतिवादीगण)

को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी गण पर था।

गवाह DW1 रुपा पिता धीरा जाति भील ने अपने शपथ पत्र में अंकन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं 42 रकबा 10–11 बीघा को धरमा व मानजी ने 33 वर्ष पूर्व संयुक्त रूप से जमीन खरीदी और क्रय दिनांक से अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है इस पर प्रार्थी ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं की है। मौकापर्चा में ग्रामीणों के अनुसार दोनों [illegible] काश्त कर रहे हैं। जिरह में DW1 ने स्वीकार किया कि धरमा ने उस[illegible] की जमीन धूलिया व धनजी से खरीदी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

DW2 हालु पिता मानजी (प्र.वा.सं–4) ने शपथ पत्र में अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी ने मेरे पिता मानजी व वादी ने 33 वर्ष पूर्व 4000–4000 अदा कर धूलिया व धनजी से क्रय की थी तब से ही आधी–आधी भूमि पर काबिज काश्त है। वादी जानबुझकर जमीन झूठा वाद पेश कर छीन लेना चाहता है। इस संबंध में काउन्टर क्लेम बाबत् खातेदारी घोषणा को पेश कर रखा है। EX-(1–3) तहसीलदार की

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (रा

रिपोर्ट बाबत् दोनों भाईयों से आधी–आधी भूमि पर कब्जा काश्त है। विक्रय पत्र मय दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है DW2 जिरह की संलग्न पत्रावली है परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं होने से साक्ष्य में शुमार नहीं किया जा रहा है।

DW3 कचरा पिता धुलिया ने अपने शपथ पत्र में DW1 की तरह समान तथ्य अंकित किये है। बिंदु संख्या 3 में मौके पर्चे स्वयं की उपस्थिति में तैयार होने व हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया है। जिरह में DW3 कचरा ने स्वीकार किया है कि उसे धरमा के खेत की नम्बर याद नहीं है। जमीन धरमा और मानजी ने खरीद कर रजिस्ट्री करवायी परंतु में रजिस्ट्री के समय में नहीं था। प्रदर्श–3 में किसका नाम है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पड़ोस वाली जमीन धूलिया, धनजी ने जमीन दोनों को बेची है। इस जमीन के लिए लड़ते–लड़ते 25–30 साल हो चुके है। जमीन विवाद को लेकर वादी धरमा उसके पुत्र व प्रतिवादीगणों को चोटें आयी थी। यह सत्य है कि आपस में मुकदमे हुये है। यह सही है कि खाता वादी धरमा के नाम से है। मौका पर्चा बनाते वक्त धरमा को बुलाया हो, मुझे मालूम नहीं है मौका पर्चा पर धरमा के अगुंठा नहीं है, दोनों को बराबर पैसा देना सही है, आपस में बंटवारा है।

उक्त गवाहान DW1, DW2, DW3 द्वारा शपथ–पत्रों, प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन अध्ययन से जाहिर हुआ कि DW1, DW3 ने अपने शपथ–पत्र में समान तथ्य अंकित किये है। DW2 द्वारा रजिस्ट्री में वादी का नाम होकर उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में आराजियात होना स्वीकार किया है।

मौका पर्चा दिनांक 21.05.15 पर वादी के हस्ताक्षर या अंगुठा अंकित नहीं है जिससे संदिग्ध प्रतीत होता है, साथ ही रजिस्ट्री में क्रेता वादी धरमा ही नाम अंकित है। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी को संयुक्त रूप से क्रय किया है। मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4.

आया वादग्रस्त भूमि में मौके पर वादी व प्रतिवादी 1/2, 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। **(बज़िम्मे प्रतिवादीगण)**

को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था

इसके पक्ष में प्रतिवादीगण ने मौका पर्चा पटवारी दि. 15.05.15 प्रस्तुत किया परन्तु वादी की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है. दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में इस तनकी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

तनकी संख्या 5.

आया वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसलिये प्रतिवादी खातेदार घोषित होने की पात्रता रखता है।

(बजिम्मे प्रतिवादीगण)

को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार हेतु अनुतोष चाहा है, नजीर भी पेश की। जिसका ससम्मान परिशीलन किया। परन्तु टिनेन्सी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने से, ये नजीर हस्तगत प्रकरण में चर्चा नहीं होने से ये तनकी भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन बहस विद्वान अधिवक्ता पर करने के उपरान्त हम हस्तगत प्रकरण का तनकीवार निर्णय करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद–वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद–वादी स्वीकार किया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेश :–

वादग्रस्त आराजी खसरा नं 42 पर रकबा 10–09 बीघा ग्राम टाडी महुड़ी पटवार हल्का नवागांव पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषाधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत प्रवेश कर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/9/22

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(ओ.20 रूल 6 व 7 जा दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा बइजलास प्रकाशचन्द्र रेगर आर.एस.एस

प्रकरण संख्या 11/2015

उनवान मुकदमा

1.धरमा पिता चोखा जाति भील आयु वयस्क निवासी टाड़ी महुड़ी तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादी

बनाम

1. मानजी पुत्र जोखा जाति भील आयु वयस्क।
2. श्रीमती कमला पत्नी मानजी जाति भील आयु वयस्क।
3. राजेंग पुत्र मानजी जाति भील आयु वयस्क।
4. हालु पुत्र मानजी जाति भील आयु वयस्क।
5. देवीलाल पुत्र राजेंग जाति भील आयु वयस्क।
6. नटवर पुत्र हालु जाति भील आयु वयस्क।
7. प्रकाश पुत्र हालु जाति भील आयु वयस्क।
8. सुश्री शिल्पा पुत्री हालु जाति भील आयु वयस्क।
9. सुश्री किरपा पुत्री हालु जाति भील आयु वयस्क।
10. दिलीप पुत्र हालु जाति भील आयु वयस्क।
11. श्रीमती कान्ती पत्नी राजेंग जाति भील आयु वयस्क।

समस्त निवासीयान टाड़ी महुड़ी तहसील व बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नंबर 11/2015

वादी की ओर से व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आज दिनांक 19.09.2022 को उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर और डिक्री की जाती है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं 42 पर रकबा 10–09 बीघा ग्राम टाडी महुड़ी पटवार हल्का नवागांव पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषाधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत प्रवेश कर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 09.सन् 2022 को जारी की गई ।

प्रकाशचन्द रेगर RAS
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मृद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प अकालतनामा	–	–	स्टाम्प अकालतनामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	स्टाम्प वजह सबूत	–	–
महन्ताना वकील	–	–	महन्ताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्पन	–	–	फीस कमीश्पन	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:34 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

उपखण्ड अधिकारी,
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)